**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13800/2024

Babulal S/o Baluram, Aged About 55 Years, R/o Plot Number 32, Vrindavan Vihar, Agra Road, Jaipur Police Station Kanota, District Jaipur. (Presently State Bank Of India Local Head Office, Jaipur). (Presently Accused Petitioner Is Confined In Sub Jail, District Nainwa, Rajasthan).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Deepak Chauhan, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Amit Kumar Gupta, Add. GA cum P.P. |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Judgment / Order**

**16/12/2024**

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अन्तर्गत पुलिस थाना–**नैनवा, बूंदी** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**303/2020** अपराध अन्तर्गत धारा **420, 403, 409, 468, 467, 471 भा.दं.सं.** में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, दिनांक 22.10.2024 से अभिरक्षा में है, गबन के आरोप मिथ्या हैं, मामला अधिकतम वित्तीय अनियमितता का है,

19,50,000 रूपये की अनियमितता बतायी गयी थी, यह राशि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा बैंक में जमा करवायी जा चुकी है तथा उसे वापस सेवा में बहाल भी कर दिया गया है, अब कोई महत्वपूर्ण अनुसंधान नहीं होना है, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने बैंक में प्रबंधक रहते हुए 19,50,000 रूपये की राशि की अनियमित प्रविष्टियां कर गबन किया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह राशि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा बैंक में जमा करवा दी गयी है और उसे सेवा में बहाल किया जा चुका है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **बाबूलाल पुत्र बालूराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां

प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

MANISH SAINI /27